न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

पुनविलोकन क्रमांक रिव्यू 2306-I-15 सन् 2015

बाबूलाल तनय मुन्नीनाई निवासी बसारी
तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म0प्र0)...आवेदक

बनाम

1. ब्रदीप्रसाद तनय शीतल प्रसाद पटेल
निवासी बसारी तह0 राजनगर जिला छतरपुर
2. रामप्यारी उर्फ शियारानी पत्नी रामगोपाल पटेल
निवासी ग्राम मोहाली तहसील कुल पहाड़
जिला हमीरपुर (उ0प्र0)
3. राज्य शासन म0प्र0 ....अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर सदस्य श्री .एम.के. सिंह द्वारा प्रकरण क्र0 रिवी0 1525/I/15 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नविलोकन ।

महोदय,

आवेदक सादर निम्न आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है कि –

1. यह कि भूमि ख0नं0 2870 रकवा 7.67 एकड स्थित ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर की भूमि है। जिसका शासकीय पट्टा आवेदक को वर्ष सं. 2028 से 2033 तक के लिये जारी किया गया था। आवेदक पट्टा प्राप्त होने के दिनांक से आज तक वाद भूमि पर काबिज कास्त है। उक्त भूमि का कुछ भाग नेशनल थार्मल पावर प्लान्ट बरेठी के लिए आधिग्रहीत किया गया जिसका मुआवजा ब्रदीप्रसाद तनय सीतल प्रसाद एवं हेमराज तनय गोविन्ददास पटेल के पक्ष में वितरित किया गया तभी से यह वाद कारण उत्पन्न हुआ कि वाद भूमि आवेदक के स्वामित्व की है तो मुआवजा अन्य को क्यों आंवंटित किया जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा भू.अर्जन अधिकारी राजनगर से की जॉच उपरान्त प्रकरण अवैध अन्तरण का पाये जाने पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2306–एक/2015 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–9–2016	पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1525–एक/15 में सदस्य महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–06–2015 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन संहिता की धारा–51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला–छतरपुर की विवादित भूमि खसरा नं0 2870 रकबा 7.67 एकड़, जिसका शासकीय पट्टा आवेदक को वर्ष सं0 2028 से 2033 तक के लिये जारी किया गया था । आवेदक पट्टा प्राप्त होने के दिनांक से आज तक वाद भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि का कुछ भाग नेशनल थार्मल पॉवर प्लान्ट बरेठी के लिये आधिग्रहीत किया गया, जिसका मुआवजा ब्रदीप्रसाद तनय सीतल प्रसाद व हेमराज तनय गोविन्ददास पटेल के पक्ष में वितरित किया गया । जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा भू–अर्जन अधिकारी, राजनगर से की । जांच के उपरांत प्रकरण अवैध अन्तरण का पाये जाने पर अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा दिनांक 16.04.13 की स्वप्रेरणा में लेकर सोकाज नोटिस जारी किया गया। इसी दौरान	

हेमराज की मृत्यु हो गई जिसके कारण विधिक वारिस के रूप में उसकी बहन रामप्यारी को दिनांक 31.03.15 को पक्षकार बनाया गया । इसके उपरांत नायब तहसीलदार राजनगर के प्रतिवेदन के आधार पर धारा 182 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु कलेक्टर, छतरपुर को भेजा गया था। न्यायालय कलेक्टर में संहिता की धारा 182 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की गई । जिसके आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30 / अ–21 / 2012–13 में आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई थी जो प्रकरण क्रमांक निग0 1525–एक / 2015 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 को निरस्त कर दी गई। न्यायालय राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है ।

3 / इस न्यायालय के समक्ष हेमराम ने पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था। हेमराज की मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारी उसकी बहन रामप्यारी को पक्षकार के रूप में स्थापित किया गया है । आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.12.2012 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के पत्र क्रमांक 1405 / अ0वि0अ0 / 12 दिनांक 29.12.2012 के पालन में आवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन पर प्रारंभ की गई थी। तथा प्रकरण क्रमांक 20 / अ–6–अ / 2011–12 दर्ज कर जांच की गई

और यह पाया गया कि आवेदक बाबूलाल के पक्ष में ख0नं0 2870 का लीज पट्टा अनुविभागीय अधिकीर, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13 / अ–19 / 1970–71 के द्वारा छतरपुर से 2028 से 2033 तक स्वीकृत किया गया था । आवेदक को भूमि अन्तरण का अधिकार नहीं था । प्रतिवेदन सहित प्रकरण मूलतः अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को दिनांक 30.03.2013 को भेजा गया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर, छतरपुर को भेजा गया था ।

4 / आवेदक के अभिभाक ने अपने तर्क में कहा कि कलेक्टर, छतरपुर द्वारा दिनांक 16.04.13 को कारण बताओ नोटिस जारी की गई । अनावेदक दिनांक 21.05.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा 22.10.2013 को जवाब पेश किया था । जवाब में कोई स्पष्टीकरण नहीं था तथा प्रकरण में समय सीमा की आपत्ति न होने के कारण इस आधार पर निगरानी करना और समय माफ किये जाने की प्रार्थना न करना निगरानी संहिता की धारा 50 के अंतर्गत 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत न होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं थी । न्यायालय द्वारा निगरानी आदेश दिनांक 30.03.2013, 10.04.2013 व 31.03.2015 के विरूद्ध स्वीकार की गई है, जिसकी दिनांक 30.03.13 व दिनांक 10.04.13 लगभग दो वर्ष पुरानी आदेश पत्रिका है । दिनांक 31.03.15 को निगरानी करीब 11 दिन

विलम्ब से प्रस्तुत थी । संहिता की धारा 5 मा0मर्यादा अधिनियम का आवेदन समर्थन में नहीं था, जो विधि द्वारा अनुज्ञात समय से बाहर स्वीकार की गई ।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही आवेदक बाबूलाल के आवेदन पर प्रारंभ की गई थी। आवेदक द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि उसने कोई विक्रय नहीं किया है और वह प्रकरण में पक्षकार था, किन्तु उसे सुने बगैर तथा पक्षकार होते हुये भी योजित न करते हुये आदेश पारित किया गया । आवेदक को वर्ष सं 2028 से 2033 तक का शासकीय पट्टा प्राप्त हुआ था । राज्य शासन द्वारा म0प्र0 अधिनियम क्र0 15 सन् 1980 लागू कर शासन से प्राप्त भूमि को विक्रय से प्रतिबन्धित किया है, जो बगैर कलेक्टर की अनुज्ञा के अन्तिरित नहीं की जा सकती थी और उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान था । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बैंच द्वारा मुलायमसिंह बनाम बुधउवा के प्रकरण में निर्णित किया है । इस कारण आवेदन पुर्नविलोकन योग्य है । अतः पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र स्वीाकर कर इस न्यायालय द्वारा निग0 क्र0 1525–एक/15 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 निरस्त कर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जावे ।

6/ मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को

एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण में तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी के तहत कार्यवाही प्रारंभ हुई है । प्रतिवेदन में उल्लेखित है अिक पट्टाधारी को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा संवत 2028 से 2033 तक पट्टा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1979—80 तक पट्टाधारी के नाम दर्ज होने का उल्लेख पाया जाता है । म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कब्जाधारियों को भूमि स्वामी घोषित किये जाना उपबंधित है । इस आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1984 को किये गये अंतरण में सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं मानी जा सकती है । इस कारण तहसीलदार राजनगर के प्रतिवेदन दिनांक 30.03.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर का प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2013 को स्थिर रखा जाना नहीं पाया जाता है । अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा 30 वर्ष बाद प्रचलित कार्यवाही वैधानिक न होने से समाप्त किया जाता है । पूर्व में भी इस न्यायालय में अनावेदक बद्रीप्रसाद द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो प्रकरण क्रमांक 1525—एक/15 पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक 10.06.2015 को विधिसंगत एवं वैधानिक होने से स्वीकार की गई थी ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हॅू कि आवेदक के द्वारा ऐसा को प्रमाण अथवा साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं

किया है जिससे की उनके द्वारा पुर्नविलोकन के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जावे । अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र निरस्त किया जाता है और इस न्यायालंय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2015 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य